

3.3.21

पत्रावली पेश हुई, उपर्युक्त
साधिका उपस्थित। वकील वादी श्री
राजेश समझाने में पत्रावली की
प्रोसीडिंग पर नोटफेब्र अंशित कर
प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं
चाहते बाबत निवेदन दिया है।
वकील वादी द्वारा प्रकरण में आगे
कोई कार्यवाही नहीं चाहते है
प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही
शेष की जाती है। पत्रावली बाद
पूरी नम्बर से प्रस की जाकर दारखस्त
दफ्तार की जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

Net pass
श्रीजेश लुधानी
3/3/21